

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु. सीकर

गिरधारी लाल बनाम

दीलाराम आदि

किस्म मुकदमा

ग़ायब बिबिधर

मु. नं.

100

वर्ष

2014

दिनांक	आज्ञा-पत्र
19/1/2000	<p>पणवली केस इधे वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं में से कोई उपस्थित नहीं। न्यायालय समय में वकील प्रार्थी व प्रार्थी को बार-बार आवाज लगवाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं। न्यायालय समय में दोपहर 3 बजे वकील प्रार्थी व प्रार्थी को बार-बार आवाज लगवाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं। अतः सायंकाल को वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को सायंकाल न्यायालय समय समाप्ति से पूर्व पुनः आवाज लगवाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं। अतः वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को बार-बार आवाज लगवाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर पणवली इसी स्तर पर अदम पेशी। अदम हाजिरी में खाजि की जाती है। पणवली फैसल हुकार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर है।</p>



liy
उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

